

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं०
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं०

7. परियोजना / स्कीम का स्थान :	यह परियोजना हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ द्वारा पेट्रोल/डीजल का एक रिटेल आउटलेट सुलतानपुर-कादीपुर राज्य मार्ग संख्या 34 किमी० 164-165 के मध्य बायीं गटरी पर गाटा संख्या 46 स्थित ग्राम गोंदलपुर, परगना-अल्हेमऊ, तहसील-जयसिंहपुर, जनपद सुलतानपुर उ०प्र० में श्री पुष्पेन्द्र कुमार प्रजापति पुत्र श्री ओमप्रकाश ग्राम उमरी, पोस्ट पीधनरामपुर, तहसील कादीपुर, जिला सुलतानपुर की डीलरशिप में स्थापना हेतु प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति तथा मार्ग की संरक्षित वन भूमि पर 5 अदद विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों का पातन।
(i) राज्य / संघ शासित प्रदेश	उत्तर प्रदेश
(ii) जिला	सुलतानपुर
(iii) वन प्रभाग	सा०वा० वन प्रभाग सुलतानपुर
(iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्र (हे०)	संरक्षित वन भूमि- 0.075028 हे०
(v) वन की कानूनी स्थिति	स्वामित्व राज मार्ग प्राधिकरण का है।
(vi) हरियाली का धनत्व	0.2
(vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (सलग्न की जाय) सिंचाई / जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एफ. आर. एल. एफ. आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ०आर.एल. 4मी० में भी संलग्न की जाय)	संलग्न है।
(viii) भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	ये भू-भाग भू-संरक्षण की दृष्टि से संवेदनशील नहीं है।
(ix) क्या कार्य राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव, अमयारण्य, जीवमंडल आदि का भाग है (यदि हो तो क्षेत्र का ब्यौरा तथा मुख्य वन जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाय)	नहीं

(x) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जाति की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियाँ पायी जाती है यदि हाँ / तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं, सामान्यतया: यूके0, सिरस, शीशम, प्रोसोपिस अर्जुन, बबूल आम आदि के वृक्ष सड़क के किनारे रोपित किये गये हैं।
(xi) क्या कोई सुरक्षित पुरातात्विक / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थिति है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ यदि अपेक्षित हो तो दें।	नहीं। प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	नहीं।
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही रहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं।
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:- (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अनाधिकृत वनेतर/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार। (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवकमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। (iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों रहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी के समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्तान्तरित किया जाए)	प्रस्तावित स्थल से 13 किमी० की दूरी पर सुरौली वन भूमि स्थित है। संलग्न है। संलग्न है। विवरण संलग्न है। संलग्न है।

11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए	संलग्न है।
12. विभाग / जिला प्रोफाइल (i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र (ii) जिले का वन क्षेत्र (iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनोत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	267289 हे० 636.878 हे० 5 मामले, 60.03248 हे०
(अ) 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि (ख) वनोत्तर भूमि पर	रिक्त रिक्त 292.583 हे० क्षतिपूरक वनीकरण कराया गया।
13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की सिफारिस।	यह परियोजना हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ द्वारा पेट्रोल/डीजल का एक रिटेल आउटलेट सुलतानपुर-कादीपुर राज्य मार्ग संख्या 34 किमी० 164-165 के मध्य बायीं पटरी पर गाटा संख्या 46 स्थित ग्राम गोंदलपुर, तहसील-जयसिंहपुर, जनपद सुलतानपुर उ०प्र० में श्री पुष्पेन्द्र कुमार प्रजापति पुत्र श्री ओमप्रकाश ग्राम उमरी, पोस्ट पौधनरामपुर, तहसील कादीपुर, जिला सुलतानपुर की डीलरशिप में स्थापना हेतु प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति तथा मार्ग की संरक्षित वन भूमि पर 5 अदद विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों का पातन हेतु वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग संस्तुति की जाती है। (के० सी० राजपेयी) प्रभारी, निदेशक सामाजिक वानिकी व वन प्रयोग सुलतानपुर।

दिनांक- 18.1.2018
स्थान-सुलतानपुर।